न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.) दांडिक प्रकरण क्रमांक 1233 / 2014

संस्थित दिनांक : 18.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा थाना मलाजखांड 🗥...... अभियोजन विरुद्ध

1-युगल किशोर पिता नारायण बिसेन, उम्र 59 साल, निवासी-भीमा, थाना मलाजेखंड, जिला बालाघाट 2-टोपराम पिता मोहनलाल कटरे, उम्र 40 साल, निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट 3-राधेलाल पिता बुधिसिंह मेरावी, उम्र 40 साल, निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट 4—भोलाराम पिता शंकर कटरे, उम्र 40 साल, निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट 5-शंकर पिता सुमरसिंह धूर्वे, उम्र 35 साल, निवासी-भीमा, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट

निर्णय

(आज दिनांक 18.12.2014 को घोषित)
निष्कर्ष

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध हेतु पूर्व दोषसिध्दि का प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीविक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

दंड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को प्रमाणित अपराध के लिए धारा 13 जुआ एक्ट के आरोप में दोषसिध्दि कर 100-100 / - रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण को 2-2 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

जप्तशुदा रूपये 1,550 / - (एक हजार पांच सौ पचास रूपये) राजसात किये Tallace of the second of the s जावे तथा जप्तशुदा तास के पत्ते विधिवत् नष्ट किये जावे।

बैहर दिनांक—18.12.2014

(सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला-बालाघाट

ALINATA PRESIDENT ALINATION OF THE PROPERTY OF